



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122025-268201
CG-DL-E-03122025-268201

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5364]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 2025/अग्रहायण 11, 1947

No. 5364]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 2025/AGRAHAYANA 11, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5552(अ).— जबकि मेसर्स सोलटाउन इंप्रा प्राइवेट लिमिटेड, आवेदक ने जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस आर-1, ऑफिस नंबर 1, श्री एस मोहर प्लाजा, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान 302001 पर स्थित है, ने राजस्थान के बीकानेर में मेसर्स सोलटाउन इंप्रा प्राइवेट लिमिटेड के 325 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन योजना में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने फाइल नं. 25-17/30/2025-पीजी दिनांक 17.03.2025 के अंतर्गत राजस्थान के बीकानेर में मेसर्स सोलटाउन इंप्रा प्राइवेट लिमिटेड के 325 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन योजना में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स सोलटाउन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों, द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांक 31.03.2025 और दैनिक युगपक्ष (हिंदी में) दिनांक 31.03.2025, तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 03.05.2025 में प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन/ अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स सोलटाउन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, ने दिनांकित 17.10.2025 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत के शासकीय राजपत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर जनता से कोई अवलोकन/ अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स सोलटाउन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन्स शामिल हैं:-

- सोलटाउन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का 325 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क (सामान्य उत्पादन स्विचयार्ड, गांव कवानी, जिला बीकानेर, राजस्थान में स्थित) – बीकानेर-II (आईएसटीएस) पूलिंग स्टेशन डी/सी और एम/सी टावरों पर 220 केवी एस/सी लाइन।

इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड पारिषण लाइनें राजस्थान राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गाँव	तहसील	जिला	राज्य
कावनी	उपनिवेशन तहसील गजनेर मुकाम कोलायत	बीकानेर	राजस्थान
जयमलसर	उपनिवेशन तहसील गजनेर मुकाम कोलायत	बीकानेर	राजस्थान

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स सोलटाउन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारिषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।
- मेसर्स सोलटाउन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

- vii. अगर उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ हिस्सा) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के मामले में याचिका सं. 2019 के नं. 838 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बारे में गठित टेक्निकल/एक्सपर्ट कमेटी के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा.

[फा. सं. 25-16/67/2025-पीजी]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 1st December, 2025

S.O. 5552(E).— Whereas, M/s Soltown Infra Pvt Ltd, the applicant with its registered office at R-1, Off. No.1, Shree S Mohar Plaza, Yudishter Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan 302001 has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme for providing connectivity to M/s Soltown Infra Private Limited for its 325 MW Solar Power Park in Bikaner, Rajasthan.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its File No. 25-17/30/2025-PG dated 17.03.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme for providing connectivity to M/s Soltown Infra Private Limited for its 325 MW Solar Power Park in Bikaner, Rajasthan.

M/s Soltown Infra Pvt Ltd had published notice for transmission scheme in local newspapers The Indian Express (in English) dated 31.03.2025 & Dainik Yugpaksh (in Hindi) dated 31.03.2025 and in Weekly Gazette of India dated 03.05.2025 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Soltown Infra Pvt Ltd has submitted an affidavit dated 17.10.2025 declaring that no observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line for M/s Soltown Infra Pvt Ltd. The following overhead transmission line is covered under this scheme:

- Soltown Infra Private Limited 325 MW Solar Power Park (common generation switchyard located in village Kawani, District Bikaner, Rajasthan) — Bikaner-II (ISTS) Pooling Station 220 kV S/c line on D/c & M/c towers

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Rajasthan

S.No.	Villages	Tehsil	District	State
1.	Kawani	Upniveshan Tehsil Gajner Mukam Kolayat	Bikaner	Rajasthan
2.	Jaimalsar	Upniveshan Tehsil Gajner Mukam Kolayat	Bikaner	Rajasthan

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Soltown Infra Pvt Ltd for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- The approval is granted for 25 years.
- The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

- iii. The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s Soltown Infra Pvt Ltd shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/67/2025-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)